>

Title: Need to provide food to children as per the enhanced rate in Aanganwadis under Integrated Child Development Services Scheme and also enhance the honorarium of cooks in the Aanganwadis.

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन मिशन रूप में किया जा रहा है। जिसमें तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिलों को इसमें सम्मिलित किया जाना है। मिशन अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय मापदंडों में बढ़ोतरी की गई है। इन मापदंडों में महत्वपूर्ण घटक पोषण आहार मद भी सम्मिलित हैं। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में एक समान पोषण आहार मीनू अनुसार प्रदान किया जाता है। मिशन अंतर्गत प्रथम वर्ष में प्रदेश के चयनित 30 जिलों में नवीन बढ़े हुए वित्तीय मानदण्ड अनुसार पोषण आहार प्रदान किया जाना है। जबकि शेष जिलों में पूर्व प्रचलित दर से पोषण आहार प्रदान किया जाएगा। पोषण आहार मद आंगनवाड़ी केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो हितग्राहियों को आंगनवाड़ी केंद्र के प्रति आकर्षित करता है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले रसोइयों को बहुत कम ही मानदेय प्रदान किए जा रहे हैं।

अतः भारत सरकार से यह मांग है कि प्रथम चरण से ही प्रदेश के समस्य 50 जिलों में पोषण आहार की संशोधित दर लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जाये एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले रसोइयों का मानदेय को महंगाई के अनुरूप वृद्धि की जाये/बढ़ाई जाए।